



ऑनलाइन एनओसी एण्ड अफिलिएशन सिस्टम ONLINE NOC & AFFILIATION SYSTEM

CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

MEERUT-250002

सन्दर्भ संख्या: CHARANUNI/संभ/ 2014 /2023

दिनांक: 03/08/2023

अस्थायी (पाठ्यक्रम अवधि) सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा एवं कार्यपरिषद की अनुमति (दिनांक: 03/08/2023) से UNIQUE LAW COLLEGE, MURADNAGAR, GHAZIABAD को UG स्तर पर

Course Name

Subject Name

1 BACHELOR OF LAW(5 YEARS) (2023-2024)

LAW

पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक: 01/07/2023 से आगामी 03 वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1- संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों को एक माह में पूर्ण करते हुए परिनियम 13.30 [^]The Executive Council may direct a college not to admit students to a particulars class if the conditions laid down for starting the classes have, in the opinion of the Executive Council been disregarded by the college concerned. The classes may however be restarted with the prior permission of the Executive Council when the conditions are fulfilled to its satisfaction** की व्यवस्थानुसार समयान्तर्गत कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त की जाएगी।

2- यह सम्बद्धता आदेश कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है। परिनियम 13.30 की व्यवस्थानुसार कक्षा संचालन (Starting The Class) की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात अध्ययन/अध्यापन कार्य सम्पन्न कराया जायगा।

3- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।

4- सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

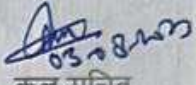
5- यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

6- संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।

7- महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

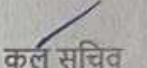
9- मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

10- रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।


कुल सचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-...., उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, Ghaziabad मण्डल,
4. प्रबन्धक, UNIQUE LAW COLLEGE, MURADNAGAR, GHAZIABAD को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, Chaudhary Charan Singh University, Meerut, Ghaziabad
6. कुलसचिव कार्यालय।
7. सम्बन्धित पत्रावली।


कुल सचिव



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4466
दिनांक : 20.2.2026

सेवा में,

सचिव

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया

21, राजज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया
नई दिल्ली।

विषय:- बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं (2) के आलोक में सीटों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) एवं बी0ए0एल0एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम में असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79-वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति के आलोक में क्रमशः दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता एवं दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2028 तक अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता प्रदान करते हुए बार काउंसिल ऑफ इण्डिया की नियमावली पार्ट IV Chapter III के बिन्दु 16(1) एवं (2) का संज्ञान लेने के बाद ही विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की गयी है। यदि बार काउंसिल द्वारा संदर्भित संस्थान को शैक्षिक सत्र 2026-2027 से सीटों की अनुमति प्रदान की जाती है तो विश्वविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

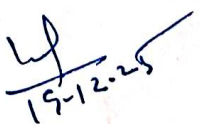
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रतिलिपि:-

01. सचिव, यूनिक लॉ कालेज, मुरादनगर, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव


19.2.25
कुलसचिव

5



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4465
दिनांक : 20.2.2026

जिस किसी से सम्बन्धित हो

विश्वविद्यालय अभिलेखानुसार यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, मुरादनगर, गाजियाबाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित संस्थान है। संस्थान को एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2017 से स्थाई सम्बद्धता एवं बी0ए0एल0एल0बी0 (पाँच वर्षीय) पाठ्यक्रम दिनांक 01.07.2023 से 30.06.2028 तक अस्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय
20.2.2026
कुलसचिव
1.5